रिपोर्ट पटवारी हल्का
कोठी

श्रीमान जी,

मुझे ही प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक गुरनाम सिंह पुत्र लखमन सिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मु०न० 22 की कि०न० 5-6-15-16 व मु०न० 23 के कि०न० 22-23 में आवागमन हेतु अपने सह खातेदारों की भूमि में से रास्ते की मांग की है।

चूंकि जिस भूमि में से रास्ते की मांग की गई है वो संयुक्त खाते की व इसमें आवेदक का भी हिस्सा दर्ज है अतः इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है

L.S. [signature] 8-6-18

कानूनगो 8/6/18

प्रभारी न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) श्रीगंगानगर
को लेखित सं निवेदन है कि प्रार्थी जहां से रास्ते की मांग कर रहा है वह भूमि प्रार्थी के संयुक्त खाते की है [illegible] प्रार्थी का स्वयं का भी मु० 22 के किला 5-6-15-16 व मु० न० 23 के कि० 22-23 में अंश / हिस्सा है। [illegible] R.T.A. 251 के तहत नहीं होता [illegible] R.T.A. 53 के विभाजन पश्चात ही रास्ते के [illegible] है।

कानूनगो 8/6/18

तहसीलदार (राजस्व)
भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर

495
8/6/18

प्रस्तुत अभिलेख एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा अपेक्षित रास्ता संयुक्त खाता की भूमि होने के कारण रास्ता स्वीकृति से पूर्व विभाजन हेतु [illegible] में [illegible] कराने की उपस्थित होने की हिदायत के बावजूद कोई उप. नहीं; अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

[signature] 8/6/18